अवैध अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालो के ऊपर 5500 रूपये का जुर्माना
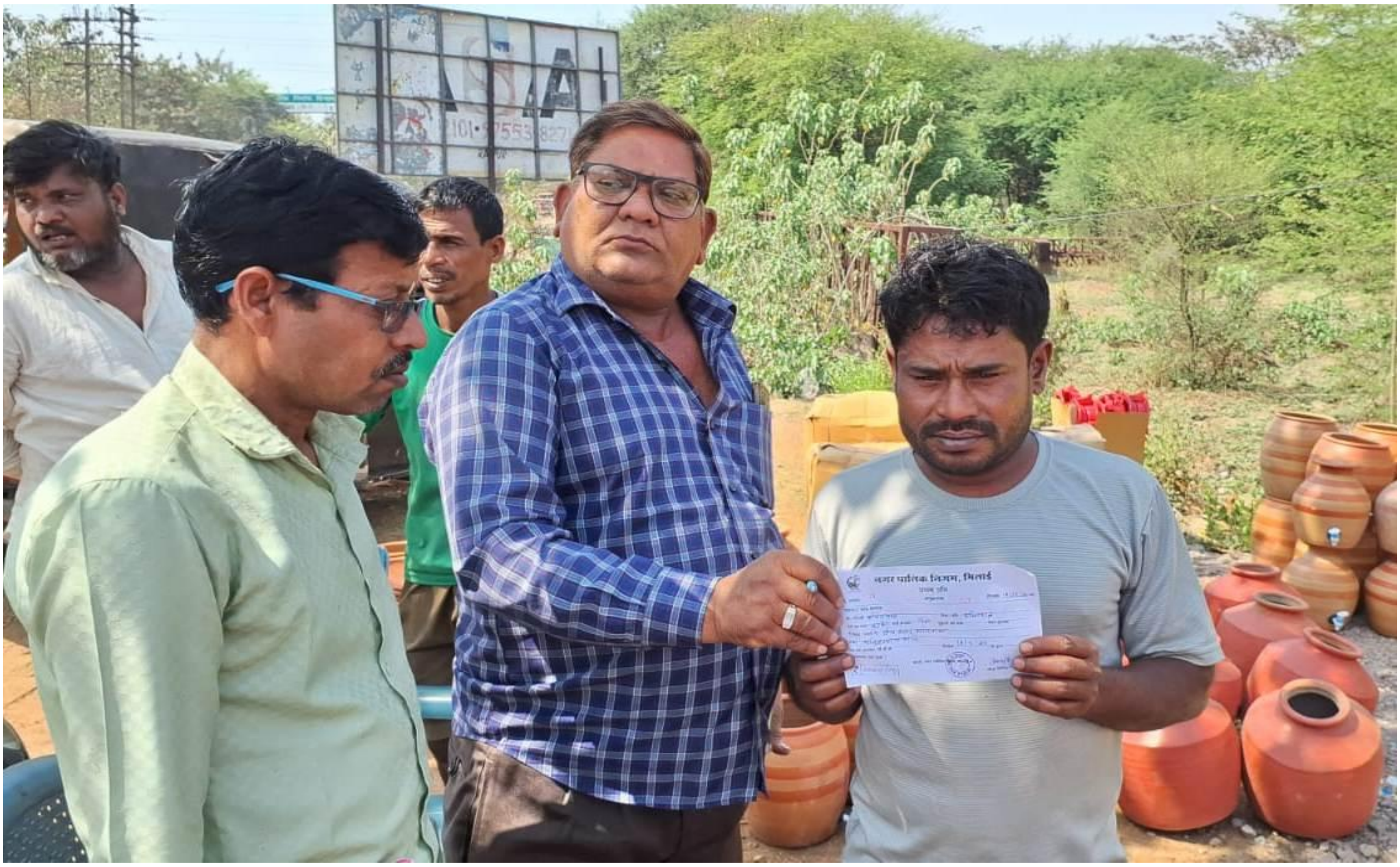
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा व्यवसासियों को बार–बार समझाइस दिया जा रहा है कि अवैध कब्जा, अतिक्रमण से होने वाले कार्यवाही और जुर्माना से बचें। सभी जोन कार्यालय क्षेत्र व जी.ई.रोड किनारे लगातार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी फल ठेला एवं अन्य दुकानदारों द्वारा कब्जा, अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा है। हुडको गार्डन के समीप अनेक लघु फुटकर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा था। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन–5 राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही किया गया है। मौके पर यह पाया गया कि फल व्यापारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा था जिसे देखते हुए फल व्यापारी किशन सोनकर से 500 रूपये और मटका व्यापारी अचिन्ता पाल से 5000 रूपये जुर्माना वसूल करते हुए स्वयं से अतिक्रमण हटाने कड़ाई से कहा गया है। इसी प्रकार रेडिमेड कपड़ा, हेल्मेट, नारियल पानी, फूल पौधा व्यवसायी, चाय दुकान एवं पानी दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण व अवैध कब्जे को अविलंब हटाने कहा गया है। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, प्रहलाद लहरे, सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्योधन साहू, गणित बघेल आदि उपस्थित रहे।